/

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक– 04.07.2026

संख्याः–11/न०वि०/विविध–03/2026/ 2456 /पटना नगर निगम द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2026 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की 19वीं बैठक की कार्यवाही के क्रम संख्या 08 एवं प्रस्ताव संख्या 472 के माध्यम से 200 करोड़ रुपये तक के नगर निगम बॉण्ड जारी करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त आलोक में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा 107, 110, 120, 121, 122 एवं 123 के प्रावधानों तथा SEBI (इश्यू एंड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप, राज्य सरकार द्वारा पटना नगर निगम को ₹ 200 करोड़ (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र तक की राशि के म्यूनिसिपल बाँड जारी कर नीधि संकलन करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :

1. उक्त बाँड के निर्गम का मुख्य उद्देश्य पटना नगर निगम अन्तर्गत संगठित वेंडिंग जोन के विकास को प्रोत्साहित करना तथा पटना रेलवे स्टेशन के निकट स्थित न्यू मार्केट के पुनर्विकास के साथ ही पटना शहर के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जाना है। इसका उद्देश्य किसी एक क्षेत्र में किसी कारण से कार्य सम्पादित करने में अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में आवश्यक संसाधन को दूसरे आवश्यक क्षेत्रों में भी लगाया जायेगा, ताकि संसाधनों का अपव्यय नहीं हो तथा नगर निगम, पटना के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ–साथ उससे प्राप्त होने वाली राजस्व की प्राप्ति भी नियमित रूप से हो सके से संबंधित पूँजीगत निवेश का वित्तपोषण करना है। इसके

अतिरिक्त पटना नगर निगम को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेकाधिकार से किसी अन्य उपयुक्त परियोजना का चयन कर सके।

2. उक्त म्यूनिसिपल बॉड निर्धारित अवधि के लिए एक किश्त (Single Tranche) में जनरल–रेवेन्यू–बैक्ड म्यूनिसिपल बॉड के रूप में जारी किया जाएगा, जिसकी अवधि दस (10) वर्ष होगी। यह बॉड NSE पर प्राइवेट/पब्लिक प्लेसमेंट मार्ग के माध्यम से सूचीबद्ध किया जाएगा। म्यूनिसिपल बॉडों में निवेश करने वाले निवेशकों की श्रेणियों में सरकारी संस्थाएँ (जैसे NABFID, IIFCL आदि), भविष्यनिधि/पेंशन/सुपरएन्युएशन/ ग्रेच्युइटी फंड, म्यूचुअल फंड, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, कॉरपोरेट इकाइयाँ आदि शामिल होंगी।

3. उक्त बॉडों पर देय ब्याज/कूपन दर का निर्धारण स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग प्लेटफॉर्म (EBP) के माध्यम से किया जाएगा।

4. उक्त बॉड से उत्पन्न होने वाले सभी दायित्व– जिसमें मूलधन की अदायगी तथा ब्याज भुगतान सम्मिलित है– पटना नगर निगम द्वारा अपने आंतरिक राजस्व स्रोतों से वहन एवं निष्पादित किए जाएंगे। मूलधन की अदायगी बॉड निर्गम की तिथि के 4 (चार) वर्ष पूर्ण होने के उपरांत प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है तथा यह बॉड की परिपक्वता अवधि तक जारी रहेगी।

5. पटना नगर निगम को SEBI (इश्यू एण्ड लिस्टिंग ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज) विनियम, 2015 के सभी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जो निम्नवत् हैं–

(i) SEBI–पंजीकृत मर्चेंट बैंकर एवं ट्रांज़ैक्शन एडवाइज़र की नियुक्ति;
(ii) विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति;
(iii) SEBI–पंजीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अनिवार्य क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना;
(iv) डेबेंचर ट्रस्टी, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफ़र एजेंट इत्यादि की नियुक्ति;
(v) बॉण्ड की स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्धता;

(vi) समय–समय पर आवश्यक सूचनाओं का अनावरण एवं रिपोर्टिंग दायित्वों का पालन इत्यादि।

6. PMC द्वारा त्रैमासिक ब्याज भुगतान एवं मूलधन दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन को सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित एस्क्रो खाता, इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट (IPA) तथा सिंकिंग फंड की स्थापना एवं अनुरक्षण किया जाएगा। एस्क्रो खाता का उपयोग आंतरिक संसाधनों को जमा करने तथा प्राथमिक तौर पर म्यूनिसिपल बॉंड से संबंधित सभी नकदी प्रवाहों के प्रबंधन हेतु किया जाएगा। एस्क्रो खाता में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग PMC द्वारा अन्य व्ययों हेतु किया जा सकेगा। डेब्ट सर्विस रिज़र्व अकाउंट (DSRA) में एक वर्ष के ब्याज दायित्व के समतुल्य राशि फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति में सुरक्षा उपलब्ध रहे। IPA का उपयोग विशेष रूप से आवधिक ब्याज भुगतान दायित्वों की पूर्ति हेतु किया जाएगा, जबकि सिंकिंग फंड मूलधन अदायगी हेतु, नियत तिथियों से पूर्व आवश्यक संचयन सुनिश्चित करने के लिए मासिक अंतरण के माध्यम से, संचालित किया जाएगा।

7. पटना नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित म्यूनिसिपल बॉंड (अधिकतम ₹ 200 करोड़) से उत्पन्न ऋण सेवा दायित्व किसी भी स्थिति में आवश्यक नगरपालिका सेवाओं के प्रदाय पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। निगम संपूर्ण बॉंड अवधि के दौरान वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा तथा सेवा प्रदाय की निर्बाधता हेतु पहचाने गए राजस्व स्रोतों को एस्क्रो खाता, डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउंट (DSRA) तथा संरचनात्मक भुगतान प्रणाली (Structured Payment System) जैसे उपयुक्त क्रेडिट–एन्हांसमेंट तंत्रों के माध्यम से संरक्षित (Ring-Fenced) करेगा।

8. पटना नगर निगम द्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2026 को आयोजित सशक्त स्थायी समिति की 19वीं बैठक की कार्यवाही के क्रम संख्या 08 एवं प्रस्ताव संख्या 471 में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बॉंड निर्गम समिति के गठन का

उल्लेख है, जिसे बॉंड निर्गम से संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए, संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक, अधिकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत निर्गम की शर्तों/टर्म शीट का अंतिम रूप देना, बाज़ार मध्यस्थों की नियुक्ति, सभी दस्तावेज़ों/समझौतों/विलेखों पर हस्ताक्षर करना तथा बॉंड निर्गम प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु आवश्यक अन्य सभी कार्य संपादित करना शामिल है।

9. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

4.7.26

(मनोज कुमार रजक)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/न०वि०/03/2026-2456 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 04.07.2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प की 300 (तीन सौ) प्रतियों में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

4.7.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/न०वि०/03/2026-2456 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 04.7.2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.7.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/न०वि०/03/2026-2456 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– 04.7.2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.7.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—11/न०वि०/03/2026 -2456 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक—04.07.2026

प्रतिलिपिः—सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार विधान सभा/मुख्यमंत्री सचिवालय/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय/महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

4.7.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—11/न०वि०/03/2026 -2456 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक—04.07.2026

प्रतिलिपिः— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.7.26

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—11/न०वि०/03/2026-2456 /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक—04.07.2026

प्रतिलिपिः— आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से संबद्ध अलग फोल्डर पर अपलोड करने हेतु अग्रसारित।

4.7.26

सरकार के अपर सचिव।